

पत्र संख्या -25-क-परिपत्र -सचलदल-10-11/

1654/ 1011082

/ वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(सचलदल अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक 07 जनवरी, 2011

समस्त

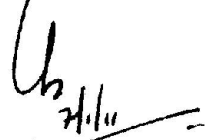
जोनल एडीशनल कमिशनर/एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0/
ज्वाइन्ट कमिशनर(वि0अनु0शा0/ डिप्टी कमिशनर/
असिस्टेन्ट कमिशनर/वाणिज्य कर अधिकारी,
वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश।

Key word 1-47-IMPORT/ Verification Forms / Penalty

कृपया मुख्यालय के परिपत्र संख्या-25-क-परिपत्र -सचलदल-10-11/ 1011075 / वाणिज्य कर दिनांक 30-12-2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पंजीकृत एवं अपंजीकृत व्यापारियों के लिए माल के परिवहन के समय उपलब्ध रहने वाले प्रपत्रों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

उक्त परिपत्र के अन्तिम पैरा में टंकण की त्रुटि के कारण " अथवा " के स्थान पर " तथा " शब्द टंकित हो जाने के कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। त्रुटि का निराकरण करते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि परिपत्र संख्या-1011075 दि0 30-12-10 में अंतिम प्रस्तर के " तथा " शब्द के स्थान पर " अथवा " पढ़ा जाय।

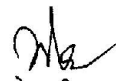
इस सीमा तक उक्त परिपत्र संशोधित किया जाता है।


(चन्द्रभानु)
कमिशनर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- 2- अध्यक्ष, वाणिज्य कर, अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- सक्ष्म, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)वाणिज्य कर अधिकारी, प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 5- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- 6- सचलदल अनुभाग को 15 प्रतियाँ अतिरिक्त।


(एम0के0श्रीवास्तव)
ज्वाइन्ट कमिशनर(सचलदल)वाणिज्यकर
मुख्यालय, लखनऊ।